भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3782

16 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: धीमें मानसून और कम वर्षा का प्रभाव

3782. श्री सुधीर गुप्ताः

श्री राजीव प्रताप रूडीः

श्री बिद्युत बरन महतोः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में मानसून की धीमी गति से प्रगति, कम वर्षा और सूखा संबंधी कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में कृषि और कृषि उत्पादों पर धीमी गति से आने वाले मानसून और कम वर्षा के क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार ने उन जिलों का आकलन किया है जो सूखा, पर्याप्त वर्षा की कमी और नीचे गिर रहे भूजल स्तर के कारण प्रभावित हुए हैं और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मानसून के देरी से आने के कारण खरीफ की फसल की बुआई में देरी होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खरीफ की फसल पर पड़ने वाले प्रभावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा देश के अलग-अलग भागों में कम वर्षा से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या विशेष रूप से देश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थिति खराब है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(च) क्या सरकार ऐसे राज्यों को सहयोग देने के लिए कोई वित्तीय पैकेज जारी करना चाहती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आबंटित की जाने वाली निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 31.05.2019 को जारी किए गए द्वितीय दीर्घावधि पूर्वानुमान के अनुसार पूरे देश में वर्ष 2019 दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम (जून से सितम्बर) में सामान्य वर्षा (दीर्घावधि औसत के 96 प्रतिशत से 104 प्रतिशत) होने का अनुमान है। हाल ही में मानसून ने गति पकड़ी है जो शुरुआत में धीमा था।

(ख): सूखा नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुसार सूखे की घोषणा करना राज्यों की जिम्मेदारी है। यद्यपि किसी राज्य सरकार ने चालू खरीफ, 2019 मौसम के दौरान एनडीआरएफ से वित्तीय सहायतार्थ अनुरोध नहीं किया है।

(ग): मानसून/वर्षा की स्थिति में अनुकूल सुधार के कारण इस सप्ताह के दौरान खरीफ फसल, 2019 के अंतर्गत क्षेत्र कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खरीफ फसलों की बुवाई अगस्त महीने के पहले पखवाड़े तक जारी रहेगी।

(घ): अनियमित मानसून के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए राज्यों की मौसम संबंधी किसी आकस्मिकता प्रबंधन की तैयारी की समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मानसून 2019 की शुरुआत से पहले परामर्शिका जारी की जा चुकी है। उन्हें जिला कृषि आकस्मिकता योजना को अद्यतन/ठीक करने; आकस्मिकता योजना का कार्यान्वयन करने के लिए बीजों तथा अन्य आदानों की उपलब्धता की जानकारी रखने; कम पानी खपत करने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त फसलों का चयन करने; नमी को बनाये रखने के लिए कृषि विज्ञान पद्धतियों को बढ़ावा देने; जीवन रक्षक सिंचाई के लिए आवश्यक व्यवस्था करने; सिंचाई अवसंरचनाओं का पुनर्रोद्धार करने; जल संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकीय उपायों का उपयोग करने; आदानों, ऋण एवं विस्तार के रुप में किसानों को सहायता प्रदान करने और आकस्मिक उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य कृषि विभागों के क्षेत्रीय अधिकारियों को संवेदनशील बनाने आदि की सलाह दी गई है। वीडियों कांफ्रेसिंग के साथ-साथ फसल मौसम निगरानी समूह के माध्यम से मानसून की प्रगति तथा क्षेत्र कवरेज आदि की निगरानी की जा रही है और व्याप्त परिस्थितियों के अनुसार राज्यों को उपयुक्त कदम उठाने की सलाह दी गई है। सूखा प्रभावी क्षेत्रों में परिस्थितियों को सामान्य बनाने के लिए केन्द्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (क्रीडा) द्वारा 648 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिकता योजनाएं तैयार की गई हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के अंतर्गत दलहन, ज्वार-बाजरा, तिलहन जैसी आकस्मिक फसलों के बीजों के वितरण का प्रावधान है जो सूखा सहय होने के साथ ही वर्षा सिंचित/सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कम पानी उपलब्ध होने पर भी जीवित रहते हैं।

(ड.) एवं (च): 31.05.2019 को जारी किए गए आईएमडी के द्वितीय दीर्घावधि पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में एलपीए का 94 प्रतिशत मौसमी वर्षा होने की संभावना है। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राज्य सरकारों को अपने पास आसानी से उपलब्ध राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से आवश्यक राहत उपायों को करने के लिए अधिकृत किया गया है। एसडीआरएफ के अलावा राज्य सरकारों से ज्ञापन प्राप्त होने पर प्रचलित प्रतिमानों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने पर विचार किया जाता है।

*****